ग्राम पंचायत मोरठू, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मोरठू, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः'–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विक्रम सिंह	23.01.11 से 22.01.16
2	श्रीमती सावित्री देवी	23.01.16 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री आलमगीर	1.10.09 से 28.11.16
2	श्री सोमदत्त	28.11.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	शराब बिक्रीकर की वसूली न करना	विवरणानुसार
2	8	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.05
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	13.45

4	10	प्राक्कलन व माप पुस्तिका को प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार
5	13	अनियमित व्यय बारे	0.19
6	14	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय करना	2.51
7	15	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	4.25

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मोरठू, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25.10.2017 से 28.10.2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय मोरठू में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 3/15, 3/16 व 7/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 09/14, 10/15 व 10/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण को उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पचांयत मोरठू, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 241 दिनांक 28.10.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मोरठू से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मोरठू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत मोरठू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	88780	48178	136958	26016	110942
2015–16	110942	53522	164464	12854	151610
2016–17	151610	21056	172666	9304	163362

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत मोरठू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	312000	1210844	1522844	911715	611129
2015–16	611129	506606	1117735	744477	373258
2016–17	373258	2170665	2543923	1199394	1344529

दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	HPSCB Sihunta	19010108268	738329
2	--do--	19010106071	99751
3	--do--	19010118267	00
4	--do--	19010110590	669682
		Cash in hand	129
		Total	**1507891**

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

(क) दिनांक 31.3.2017 को बैंक अनुसार अन्तशेषः ₹1507891

(ख) दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्तशेष (क +ख) ₹1507891

5 योजना/कार्यक्रम अनुसार अनुदानों का अलग–अलग बैंक खाता न खोलने बारेः–

अतिरिक्त सचिव (पंचायती राज) के पत्र संख्या PCH-HA (D) C (15)-13 (L) 5-47005-81 दिनांक 15.025.12 के अनुसार प्रत्येक योजना कार्यक्रम के लिए अलग–अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित था परन्तु जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है जोंकि उचित नहीं था जिसके कारण प्रत्येक योजना/कार्यक्रम की सही वित्तीय स्थिति दर्शाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः योजना अनुसार बैंक खातों को न खोलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक योजना अनुसार बैंक खाता खोलना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को न तैयार करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येंक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जोन का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत क आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल काई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा विताीय स्थित का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Morthu

7 **शराब बिक्री से प्राप्त कर की वसूली न करने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की शराब बिक्री से प्राप्त कर की राशि नहीं वसूली गई है जबकि सचिव व प्रधान द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त पंचायत में शराब का ठेका भी है। अतः उक्त मामले को सम्बन्धित विभाग के समक्ष ला कर बकाया राशि को शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में भी इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये।

8 **पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–**

पंचायत की स्वःस्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व ₹5000 की वसूली शेष थी। इस राशि को शीघ्र अति शीघ्र वसूल कर स्वः स्त्रोत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

गृहकरः–

वर्ष	आ0 शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	12800	4875	17675	0	17675
2015–16	17675	5000	22675	22675	0
2016–17	00	5000	5000	0	5000

9 **अनुदान ₹13.45 लाख का उपयोग न करनाः–**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹1344529 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत मोरठू को अवगत करवाया

गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा करवाए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242 दिनांक 28.10.17 तक द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया दिया गया है। अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 अनुचित रूप से ₹830 के बिक्रय कर का भुगतानः–

वाउचर संख्या 84 माह 10/15 रोकड़ बही पृष्ठ 72 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹17428 का भुगतान मै0 गर्ग इंटरप्राईजेज गग्ल को स्पोर्टस किट हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मों द्वारा दरें विक्रय कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में ₹830 का विक्रय कर अलग से वसूल किया गया जोकि अनुचित था। उक्त विक्रय कर की राशि को उत्तरदायी से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 मस्टररोल द्वारा किये गये भुगतान में अनियमितता बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में निम्नलिखित मस्टर रोल द्वारा किये गए भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि न ही इन मस्टर रोल को मस्टर रोल रजिस्टर में दर्ज किया गया है न ही इन मस्टर रोलों में कार्य का नाम व अवधि दर्शाई गई है व न ही इन मस्टर रोलों को निर्माण कमेटी द्वारा सत्यापित किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निधि का नाम	**वा0सं0 / माह**	**राशि**	**पृ0सं0**
सामान्य निधि	07, 05 / 14	7590	47
–यथोपरि–	08, 05 / 14	11604	47
–यथोपरि–	28, 12 / 14	20020	54
–यथोपरि–	36, 10 / 16	31486	89

13 ₹0.19 लाख को अनियमित व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि BRGF निधि से निम्नलिखित व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित करवाया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से निम्न राशि को वसूल कर उक्त निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	**माह**	**राशि**	**विवरण**	**रोकड़ बही पृ0सं0**
01	06 / 14	11500	1 रेफ्रीजरेटर	43
02	06 / 14	7925	1 रेफ्रीजरेटर, 1 बी0पी0 ओपरेटस, 1 थरमामीटर व अन्य चिकित्सिय ओपरेटस, 5000 ईंटें	43
	जोड़	**19425**		

G.P. Morthu

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.51 लाख को स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹250922 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ मेंअंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत मोरठू को अवगत करवाया गया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 क्रय की गई ₹4.25 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरो में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "3"** पर ₹425451 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत मोरठू को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उत्तरदायी से करके पंचायत निधि में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, पंचायत मोरठू को अवगत करवाया गया।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1	मोबाईल टावर रजिस्टर
2	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
5	रसीद बुक रजिस्टर
6	खाता बही

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विविध अनियमितताऐंः–

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्षः–**लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (vii) 16/2017–खण्ड–1–2184–2187 दिनाँक 27.03.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मोरठू, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

G.P. Morthu